संख्या-150/2026/I/1282893/2026/23-11099(099)/455/2025

प्रेषक,

अभय प्रताप श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-11 **लखनऊ:दिनांक 29-03-2026**

विषयः- जनपद बांदा में बांदा बाईपास मार्ग (अ0जि0मा0) के किमी0 1 से 16(550), 16(683-1000) एवं 17(0.611) मे मार्ग के चौडीकरण एवं सुदृढीकरण तथा अवशेष भाग किमी0 16(550-683), 18(270-1000) से 20(400) तक का निर्माण कार्य (लम्बाई 19.400 किमी0) की जी0एस0टी0 मद में वृद्धि के कारण पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-1054 बी0जी0/7बी0/मांग-जी0एस0टी0/2025-26, दिनांक 09-01-2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शहरो के बाईपास/रिंग रोड/फ्लाई ओवर निर्माण योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या-358/2021/273ई/23-11-2021-1/2(26)/2021, दिनांक 31-03-2021 द्वारा जनपद बांदा में बांदा बाईपास मार्ग (अ0जि0मा0) के किमी0 1 से 16(550), 16(683-1000) एवं 17(0.611) मे मार्ग के चौडीकरण एवं सुदृढीकरण तथा अवशेष भाग किमी0 16(550-683), 18(270-1000) से 20(400) तक का निर्माण कार्य (लम्बाई 19.400 किमी0) की लागत रू0 12171.45 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। प्रश्नगत परियोजना कार्य पर बढ़ी हुई 06 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि रू0 183.02 लाख की देयता उत्पन्न हुई है।

अतः प्रश्नगत कार्य की अनुमोदित लागत रू0 12171.45 लाख में बचत की धनराशि रू0 34.07 लाख को घटाने के उपरान्त की लागत रू0 12137.38 लाख में बढी हुई 06 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि रू0 183.02 लाख को जोड़ते हुए कार्य की कुल लागत रू0 12320.40 लाख (रूपये एक अरब तेईस करोड़ बीस लाख चालीस हजार मात्र) की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है:-

(1) प्रश्नगत कार्य पर जी0एस0टी0 की धनराशि वास्तविक रूप से जितनी देय होगी, उतनी ही भुगतान की जायेगी। अवशेष धनराशि का भुगतान कदापि नहीं किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत कार्य पर जी0एस0टी की धनराशि के सम्परीक्षित लेखा प्राप्त कर अभिलेखों में संरक्षित किए जाय।

(3) किसी भी स्थिति में कार्य एवं फडिंग की डुप्लीकेसी न होने दी जाय। यह सुनिश्चित करने का दायित्व सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत स्वीकृति कार्य जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा। इससे इतर व्यय कदापि नहीं किया जाय।

(6) अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष जमा की जायेगी। निर्माण कार्य की लागत पर अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75 दिनांक 25-01-2011 के साथ पठित शासनादेश सं0-ए-2-1606/दस-2014-17(4)/75 दिनांक 11 नवम्बर 2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा उक्त शासनादेश दिनांक 25-01-2011 के संलग्नक में प्रदर्शित सम्बन्धित विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्षक 1054-सड़क तथा सेतु-800-अन्य प्राप्तियां-01 प्रतिशतता प्रभारों की वसूली में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट कर जमा की जायेगी।

(8) प्रश्नगत कार्य पर जी0एस0टी0 की धनराशि का भुगतान नियमानुसार वास्तविकता के आधार पर किया जायेगा तथा यदि पूर्व में कोई जी0एस0टी0 की धनराशि का भुगतान सम्बन्धित को किया गया है, तो उसका समायोजन सुनिश्चित करने के उपरान्त ही जी0एस0टी0 की धनराशि का भुगतान किया जाय। कार्य की लागत को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

(9) प्रस्तावित कार्य की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में प्रस्तावित है।

(10) लोक निर्माण विभाग में सी0सी0एल0 प्रणाली समाप्त किए जाने के फलस्वरूप वर्क्स से सम्बन्धित बजट के ऑन लाइन आवंटन किए जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04-05-2022 तथा कार्यमदों के व्यय को सी0सी0एल0 प्रणाली से मुक्त रखते हुए सामान्य कोषागार प्रणाली से आच्छादित किए जाने के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2022/ए-2-76/दस-2022-10(9)/95, दिनांक 13-04-2022 में निहित व्यवस्था/शर्तो का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27-03-2025 में निर्धारित प्रक्रिया एवं निहित शर्तो का अक्षरशः अनुपालपन सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) प्रश्नगत कार्य की प्रशासकीय एवं वितीय स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-358/2021/273ई/23-11-2021-1/2(26)/2021, दिनांक 31-03-2021 की शेष शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेगें।

2- उक्त कार्य पर होने वाला व्यय अनुदान संख्या-58 के लेखाशीर्षक-5054-सडको तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-337-सडक निर्माण कार्य-86-शहरों के बाईपास/रिंग रोड/फ्लाई ओवर के चालू कार्यो की व्यवस्था-00-24-वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-E-8-1276-X-2025-26, दिनांक 29-03-2026 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे है।

भवदीय,

(अभय प्रताप श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
6- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
8- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
9- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
10- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-8/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1, उ0प्र0 शासन।
12- राज्य योजना आयोग-1/2, उ0प्र0 शासन।
13- अधीक्षण अभियन्ता, नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
14- लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/12 एवं 14, उ0प्र0 शासन।
15- नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
16- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अभय प्रताप श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।